राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली

एनएचबी(एनडी)/डीआरएस/नीति सं.48/2011-12
04 अप्रैल, 2012

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)

महोदय,

<u>आवास ऋणों के समय-पूर्व बंद करने पर पूर्व-भुगतान पैनल्टी - स्पष्टीकरण</u>

कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 19 अक्तूबर, 2011 को जारी हमारे परिपत्र सं एनएचबी(एनडी)/डीआरएस/नीति सं. 43/2011-12 का संदर्भ लें। उक्त परिपत्र सभी आवास ऋणों पर लागू होता है, वे चाहे स्थिर अथवा फ्लोटिंग दर पर दिये गये हों। तथापि, हमारे ध्यानार्थ ऐसे मामले आये हैं जहां आवास ऋण विभिन्न नामों पर विशेष दर पर दिये गये हैं और अनेक अवसरों पर ऋण की प्रारंभिक अवधि में ब्याज की स्थिर दर के बाद ब्याज की फ्लोटिंग दर शुरू हो जाती है। ऐसे ऋणों हेतु उक्त परिपत्र की अनुप्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण मांगे गये हैं।

2. हमने ऋण के प्रारंभ होने के समय ब्याज दर की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मामले पर विचार किया है। ऐसे ऋणों के प्रारंभ होने के समय स्थिर ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त परिपत्र में उल्लिखित स्थिर ब्याज दर के आवास ऋणों पर लागू अनुदेश इन आवास ऋणों पर भी लागू होंगे।

3. उक्त परिपत्र के अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे।

4. कृपया पावती भेजें।

भवदीय,

राम श्याम

(आर.एस.गर्ग)
कार्यपालक निदेशक